संचालनालय संस्थागत वित्त, छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष भवन, ब्लॉक–1, चतुर्थ तल, नवा रायपुर अटल नगर

दूरभाष क्रमांक 0771–2510840, फैक्स क्र. 0771–2510841

Email : dif.cg@gov.in; adif.cg@gov.in

क्रमांक 315 /संसंवि/कोरोना/2020 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24/03/2020

प्रति,

कलेक्टर
समस्त जिला
छत्तीसगढ़

विषय :– नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम हेतु जिले में लगाये गये प्रतिवंधात्मक आदेश में बैंकों तथा एटीएम के संचालन हेतु व्यवस्था बाबत्।

– :: –

प्रदेश में नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रभाव के दृष्टिगत राज्य शासन तथा भारत सरकार द्वारा आवश्यक दिशा–निर्देश समय–समय पर जारी किये जा रहे हैं। COVID-19 के बचाव तथा फैलाव के नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 22 मार्च 2020 को निर्देश जारी किये गये हैं ताकि ग्राहकों को अतिआवश्यक बैंकिंग सुगमता एवं वायरस से बचाव के साथ प्रदान की जा सके।

2. भारतीय रिजर्व बैंक तथा इण्डियन बैंक्स एसोसियेशन द्वारा भी देश में कार्यरत बैंकों को मार्गदर्शी निर्देश जारी किये गये हैं, जिससे प्रदेश के नागरिकों की प्राथमिक दिन–प्रतिदिन की आवश्यकताओं जैसे खाने–पीने की वस्तुएं, दवाईयां इत्यादि की पूर्ति की जा सके। इण्डियन बैंक्स एसोसियेशन द्वारा सभी बैंकों को feasible business continuity plan तैयार करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

3. दिनांक 23 मार्च 2020 को सम्पन्न राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों के संदर्भ में लेख है कि जिला प्रशासन द्वारा जारी किये गये अथवा किये जाने वाले प्रतिबंधात्मक आदेश में बैंकिंग एवं एटीएम को अतिआवश्यक सेवाओं में रखा जाना उचित होगा।

4. बैंक शाखाओं द्वारा निम्नानुसार व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित किया जाना उचित होगा :–

i. बैंकों द्वारा निम्न आधारभूत सेवाएं सुनिश्चित की जाये – (क) नगद राशि का लेन–देन (ख) रिमिटेंश जैसे कि आरजीटीएस/एनईएफटी आदि (ग) चेक क्लीयरगि की सुविधाएं (घ) मुद्रा तिजोरी का परिचालन (ड) एटीएम का परिचालन (च) शासकीय बैंकिंग व्यवहार की सुविधाएं (छ) सीएसपी/बैंक मित्र द्वारा बैंकिंग सुविधा को उपलब्ध कराना। (छ) बीमा, बीमा के नवीनीकरण एवं संबंधित अन्य सुविधाएं।

ii. ग्राहकों द्वारा अन्य खाते में राशि अंतरण हेतु अधिकाधिक ऑनलाईन प्रक्रिया का उपयोग किया जावेगा।

iii. जिन खातों में एटीएम कार्ड्स प्रदान किये गये हैं, ऐसे खातों से नगद निकासी प्राथमिकता पर एटीएम से ही प्राप्त करने की व्यवस्था की जाये ।

iv. खाते में क्लियरिंग/कलेक्शन के माध्यम से चैक जमा करने हेतु ड्राप बॉक्स का उपयोग किया जाये।

v. बैंक शाखाओं में सेनिटाईजर की व्यवस्था स्टॉफ तथा ग्राहकों हेतु की जाये।

vi. शाखा में एक समय में 5 से अधिक ग्राहक अंदर प्रविष्ट न हो, ऐसी व्यवस्था की जाये।

vii. प्रत्येक एटीएम में यथासम्भव सेनिटाईजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

viii. बैंक शाखा/एटीएम में स्टॉफ एवं ग्राहकों में social distance सुनिश्चित करने के प्रयास किये जाये।

क्रमशः –2–

Scanned with CamScanner

ix. एटीएम में समय—समय पर नगद राशि भरने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, जिससे एटीएम खाली नहीं रहे।

x. बैंक द्वारा नगद राशि की व्यवस्था हेतु वाहनों के आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

xi. शाखा प्रबंधकों द्वारा सभी कर्मचारी/अधिकारी को निवास एवं कार्यालय के बीच आवागमन एवं बैंकों/एटीएम के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यक सर्विस प्रोवाईडर/Vendors को बैंक के द्वारा जारी अधिकृत पास के आधार पर लॉक डाउन वाले क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति दी जाये।

xii. प्रतिबंधात्मक आदेश के लागू रहने के दौरान (लॉक डाउन अवधि के दौरान) बैंक शाखाओं की कार्यअवधि का निर्धारण नागरिकों की सुविधाओं को सर्वोपरि रखते हुए बैंक द्वारा जारी Master Circular on Customer Service in Bank (DBR No.Leg.BC.21/09.07.006/2015-16, dated July 1, 2015) के पैरा 7.1 के आधार पर किया जाये।

5. आपसे अपेक्षा है कि प्रदेश क नागरिकों की आवश्यकता के दृष्टिगत बैंकिंग सुविधाओं को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने एवं COVID-19 के फैलाव से बचने हेतु उपरोक्त विन्दुओं का ध्यान रखा जावेगा।

(प्रभात मलिक)
संचालक
संस्थागत वित्त

पृष्ठां. क्र. 316 /संसंवि/कोरोना/2020 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 26/03/2020

प्रतिलिपि :—

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग/मुख्यमंत्री कार्यालय मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
6. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़।
7. संभागायुक्त, समस्त, छत्तीसगढ़।
8. पुलिस महानिरीक्षक, समस्त, छत्तीसगढ़।
9. पुलिस अधीक्षक, समस्त, छत्तीसगढ़।
10. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़।
11. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, नवा रायपुर अटल नगर।
12. उप महाप्रबंधक एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, भारतीय स्टेट बैंक, आंचलिक कार्यालय, बैरन बाजार रायपुर, छत्तीसगढ़।
13. समस्त राज्य स्तरीय प्रमुख, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/निजी क्षेत्र के बैंक।
14. अध्यक्ष, छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण बैंक, रायपुर।
15. प्रबंधक संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, छत्तीसगढ़।
16. अग्रणी जिला प्रबंधक, समस्त, छत्तीसगढ़।

—की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक
संस्थागत वित्त

Scanned with CamScanner